

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा तहसील फुलियाकलां
पीठासीन अधिकारी - श्री राजकेश भीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 38/2019

- 1 छगना पिता रामकिशन धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा वादी
- 1 रामरतन पिता लादु धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा वनाम
- 2 कैलाश पिता लादु धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 मनीराम पिता लादु धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 4 मु.नानी बैवा लादु धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 5 शान्ति बैवा रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 6 कार्तिकेय पिता रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा
रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 7 नेराज पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा
रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 8 मु.पुजा पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा
रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 9 ममता पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा
रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 10 रचना पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा
रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 11 विजया पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा
रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 12 घनश्याम पुत्र जगदीश धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 13 मु.घीसी बैवा जगदीश धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 14 शिवराज पिता जगदीश धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 15 मु.धापू पत्नि गोवर्धन धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 16 बद्रीलाल पिता गोवर्धन धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 17 मिश्रीलाल पिता हजारी धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 18 शान्ति लाल पिता हजारी धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 19 गोपाल पिता जगरूप धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 20 रमेशचन्द्र पिता जगरूप धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा
- 21 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भील0



.... प्रतिवादी

सहायक कलक्टर वं
राम केशु भीना
फुलियाकलां, (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री शिवराज कुमावत..... वकील वादी
श्री अविनाश जीनगर..... अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 20

-:: निर्णय ::-


दिनांक 4-10-2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम वांसेडा हल्का पटवारी क्षेत्र वांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 271 किता 4 कुल रकवा 0.73 हैक्टे. खतौनी संख्या 272 किता 6 कुल रकवा 0.57 हैक्टे., खतौनी संख्या 273 किता 4 कुल रकवा 3.00 हैक्टे. भूमि जो पुश्तैनी होकर वर्तमान में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 से 20 के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड है। वादी के दादा के दो पुत्र वादी के पिता श्री रामकिशन एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति श्री लादुजी उत्पन्न हुए, परन्तु दुर्भाग्यवश वादी के दादा के पूर्व वादी के पिता श्री रामकिशन का देहान्त हो गया उसके पश्चात दादाजी का भी देहान्त हो गया। राजस्व अभिलेखों में विरासत प्रक्रिया के दौरान भूलवश वादी के पिता के स्थान पर दादाजी का नाम रेकार्ड में दोषयुक्त दर्ज कर दिया गया। यह त्रुटीपूर्ण ईन्द्राज आदिनांक तक अनवरत रूप से चला आ रहा है।

अतः वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादी के पिता का नाम छगना पिता नारायण धाकड सा.देह के स्थान पर छगना पिता रामकिशन धाकड सा.देह को दुरुस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 01.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। नियत सुनवाई दिनांक 18.02.2021 पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादपत्र वादी स्वीकार किये जाने में अपनी और से कोई उजर/आपत्ति नहीं होना व्यक्त करते हुए प्रमाण में ईकवालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। शेष विपक्षी क्रम 05 से 20 की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री अविनाश जीनगर ने भी उपस्थित होकर मामलों में कोई उजर/आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया, जिसका अंकन उनके द्वारा आदेशिका पर किया गया। वादी ने मार्फत अधिवक्ता शहादत में वादी का शपथपत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुतशुदा शपथपत्र पर लाल स्याही से पी.डब्ल्यू-1 का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, चालु व साबिक जमाबन्दी सवत 2076-79 पर क्रमशः प्रदर्श-1 से प्रदर्श-11ए का अंकन किए गये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम वांसेडा दिनांक 04.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। नियत शिविर पर उपस्थित वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अंकित कलमो को अपनी बहस में समायत करते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता का नाम छगना पिता नारायण धाकड सा.देह के स्थान पर छगना पिता रामकिशन धाकड सा.देह को अभिलेखों में दुरुस्त किया जाना फरमावें।


पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार दस्तावेजी साक्ष्य के परीक्षण/अवलोकन उपरान्त वादी के पिता का नाम छगना पिता नारायण धाकड के स्थान पर छगना पिता रामकिशन धाकड दुरुस्त किया जाना उचित है।


सहायक कलक्टर - वं
राजस्थान अधिवक्ता
फुलिया कला (भा.व.)

-:आदेश:-

वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बांसेडा हल्का पटवारी क्षेत्र बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 271 किता 4 कुल रकबा 0.73 हैक्टे. खतौनी संख्या 272 किता 6 कुल रकबा 0.57 हैक्टे., खतौनी संख्या 273 किता 4 कुल रकबा 3.00 हैक्टे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी के पिता का नाम छगना पिता नारायण धाकड सा.देह के स्थान पर छगना पिता रामकिशन धाकड सा.देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 सहायक (संयोजक) (सीनियर)
 उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
 फुलियाजिला भीलवाड़ा